

HUSSAINABAD NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. 775781220922033721

Date 22-09-2022

प्रमाणी प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री KIRAN SINGH S/O YUGESHWAR KUMAR SINGH,
मोहल्ला Shivpuri colony HUSSAINABAD
PALAMU, 822116
9546301090

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0010000510000M0 वार्ड सं 1 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण प्रमाण पर आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रूपये निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं०	Particular's	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	87.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		87.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- 1 कर निर्धारण की सूची, HUSSAINABAD NAGAR PANCHAYAT Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- 2 नियमावली कडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा।
- 3 हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- 4 यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिहायत दी जाएगी।
- 5 किसी देय धृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6 यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पर की स्वीकृति जल संरक्षण संरचना के अभाव में गलत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7 HUSSAINABAD NAGAR PANCHAYAT द्वारा संप्रहित इस सम्पत्ती कर इन इमारतों/ढांचों को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है और यह न तो अंतर राशि देय दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8 अगर आपके नये हार्डिडिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट रारचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.